

न्यायालय माध्यस्थम अधिकारी (जिला कलक्टर), चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई. ए. एस.

प्रकरण संख्या 26/2015 (रा.अ.)  
पंजीयन दिनांक 22.06.2015

भंवरलाल पिता लालू जी गाडरी आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील  
निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

-प्रार्थीगण

बनाम

परियोजना निदेशक एवं अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
राष्ट्रीय राजमार्ग, खण्ड बांसवाड़ा, मुख्यालय चित्तौड़गढ़

-विपक्षी

आपत्ति विरुद्ध कार्यालय सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा  
जिला चित्तौड़गढ़ क्रमांक/एएलए/चित्तौड़गढ़-निम्बाहेड़ा खण्ड/एन.एच 79/प्र.सं.  
127/2013 निर्णय दिनांक 01.07.2014

उपस्थिति:- 1-श्री मुकुट बिहारी दाधीच, अधिवक्ता विपक्षी



निर्णय

दिनांक 17.07.2018

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 चित्तौड़गढ़-निम्बाहेड़ा-नीमच खण्ड (मध्यप्रदेश सीमा तक) के निर्माण हेतु प्रार्थी के खातेदारी, की वाके मौजा मांगरोल की खसरा नम्बर 1036 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म चाही 4, ख. नं. 1038 रकबा 0.01 है. किस्म चाही 4 एवं ख. नं. 1057 रकबा 0.08 है. चाही 4 कुल किता 3 कुल रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि को अवाप्त करते हुए राशि 11,12,177/-रुपये के मुआवजे का एवार्ड आदेश दिनांक 01.07.2014 को पारित किया जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थी ने पारित एवार्ड आदेश के विरुद्ध यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा से संबंधित पत्रावली तलब की गयी। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकुट बिहारी दाधीच ने अधिकार-पत्र एवं जवाब प्रस्तुत किया। सक्षम प्राधिकारी से

पत्रावली प्राप्त हुई। अधिवक्ता प्रार्थी के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से बहस अधिवक्ता विपक्षी सुन प्रकरण गुणावगुण के आधार पर देखा गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा आराजी में पानी की मोटर लगी हुई है और पत्थर की बाउण्ड्रीवाल तथा एक होटल जिसके अन्दर 80x40 फीट का एक हॉल तथा 10x10 का एक कीचन, पानी का टैंक बना हुआ है जिन सबका प्रार्थी को भुगतान नहीं दिया गया है। प्रार्थी की जो भूमि अवाप्त की गई है उसकी वर्तमान कीमत बाजार दर से पचास लाख रुपये प्रतिबीघा के हिसाब से कीमत बनती है। तथा कुवे की कीमत 5.00 लाख रुपये बनती है 500 फीट की पाईप लाईन डली हुई है इन सभी तथ्यों को दरकिनार कर अधीनस्थ अधिकारी महोदय ने जो गलत अवार्ड जारी किया है उसे निरस्त कर जांच कराई जाकर समुचित मुआवजा दिलाया जावे।

विपक्षी के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थी को उसकी अवाप्तशुदा भूमि रकबा 0.19 हैक्टेयर का राजस्व रेकार्ड एवं निर्माण एवं संरचनाओं के निर्माण अनुसार निर्धारित दर से एवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा अत्यधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर तथ्य अंकित किये हैं। केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (48) के तहत नियमानुसार मौके की स्थिति एवं तकनीकी संरचना के अनुसार ही राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य किये जाने के कारण राजस्व रेकार्ड में दर्ज किस्म एवं नियमानुसार भूमि, भूमि पर बने निर्माण, पेड-पौधों आदि संपरिवर्तन अनुसार जिला कमेटी द्वारा तय दर (डी. एल. सी.) पर मूल्यांकनकर्ता की वैल्युवेशन रिपोर्ट अनुसार ही नियमानुसार मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। राजस्व रेकार्ड का निरीक्षण कर जिन्स गिरदावरी का राजस्व अधिकारियों एवं एन. एच. के अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया तत्पश्चात् सत्यापन/ प्रमाणीकरण संबंधित कार्यपालक इंजीनियर सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाया गया, तदुपरान्त दोनों अधिकारियों की सर्वे रिपोर्ट सही व तथ्यात्मक होने पर भूमि की किस्म के अनुसार एवं जिन्स गिरदावरी का मिलान कर वर्तमान प्रचलित बाजार दर (डी. एल. सी.) का तीन गुणा राशि से ही राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (2) के तहत 10 प्रतिशत सोलेशियम राशि जोडते हुए एवार्ड जारी किया गया है। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उप पंजीयक निम्बाहेड़ा द्वारा बाजार दरों का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह एन. एच. से 100 मीटर की परिधि के भीतर स्थित भूमियां होने से उसे बाजार दर (डी.एल.सी.) से तीन गुणा करके ही बाजार दरें प्रस्तुत की है जिसके अनुसार प्रार्थी को उसकी ग्राम मांगरोल स्थित अवाप्ताधीन भूमि का बाजार दर से तीन गुणा करके 53130/-रु. प्रतिएयर से भुगतान किया गया है। प्रार्थी ने अत्यधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर अपने मन मकसूद तरीके



से मुआवजा राशि की मांग की है जो स्वीकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता विपक्षी की बहस पर मनन कर प्रकरण गुणावगुण के आधार पर देखा जिसके अनुसार उप पंजीयक, निम्बाहेड़ा ने सक्षम प्राधिकारी के यहां जरिये पत्रांक/पंजी./13/175 दिनांक 16.12.2013 से बाजार दरों (डी.एल.सी.) का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह एन. एच. से 0-100 की परिधि में स्थित भूमियों का ही विवरण प्रस्तुत किया है जो कि प्रचलित दर से तीन गुणा की हुई दरें हैं। अतः प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि का तीन गुणा दर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान किया गया है।

जहां तक पानी की मोटर, पत्थर की बाउण्ड्रीवाल तथा एक होटल जिसके अन्दर 80x40 फीट का एक हॉल तथा 10x10 का एक कीचन, पानी का टैंक आदि संरचनाओं का मुआवजा कम देने/नहीं देने का प्रश्न है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्व अधिकारियों एवं एन. एच. के अधिकारियों द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन करने जिनका सत्यापन/प्रमाणीकरण संबंधित कार्यपालक इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड निम्बाहेड़ा द्वारा किये जाने के पश्चात् अवाप्ताधीन भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं का मुआवजा निर्धारण किया गया है तथा जिसका सिंचित कृषि भूमि की 3 गुणा दर से अधिनियम की धारा 3 जी (2) के तहत 10 प्रतिशत अतिरिक्त देय राशि जोड़ते हुए प्रार्थी को मुआवजा भुगतान किया गया है।

साथ ही प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ कार्यालय में तथा इस न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसकी भूमि पर स्थित संरचनाओं जिनका प्रार्थी को मुआवजा भुगतान किया गया है उससे अधिक संरचनाएँ स्थित हो तथा उसे कम मुआवजा दिया गया हो, कथन की पुष्टि होती हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा पारित एवार्ड आदेश दिनांक 01.07.2014 विधि-सम्मत होकर एवार्ड आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थीगण का आवेदन खारीज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(इन्द्रजीत सिंह)